

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक:- प.9(60)राज.-6/12/5

जयपुर, दिनांक:-22.01.2013


अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम सं० 15) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प. 6(12)राज-6/99/पार्ट/23 दिनांक 13.10.2005 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात:-
संशोधन

उक्त अधिसूचना में निबंधन एवं शर्तों के बिन्दु संख्या (2) के पश्चात एवं बिन्दु संख्या (3) के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

“परन्तु यह कि पात्र ग्राम स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अनाधिवासित सरकारी भूमि का 1500 वर्ग मीटर तक निःशुल्क आवंटन किया जावेगा।”

राज्यपाल के आदेश से,


(लेखराज तोसावडा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 22.01.2013 में प्रकाशन हेतु।
9. संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायाधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई-दिल्ली।
10. “राविसा” राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव